



भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ-226 101 (भारत)

ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture

Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow - 226 101 (India)



ISO : 9001-2015

फार्म 0 1-1/2022-23/नीलामी-फसल

दिनांक: 20 .05.2022

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के रहमानखेड़ा परिसर पर आम के फसलों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी, जिसका विवरण निम्नवत है: -

क्र.सं.	नीलामी की फसल का विवरण	पेड़ों की संख्या	धरोहर राशि	नीलामी दिनांक एवं समय	नीलामी का स्थान
1	फसल- आम: रहमानखेड़ा प्रक्षेत्र के खण्ड द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ	1574 पौधा	रु.40,000.00	27.05.2022 पूर्वान्ह 11.00 बजे	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा परिसर, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ - 226 101 (उ.प्र.)

नीलामी प्रक्रिया की नियम एवं शर्तें :

1	नीलामी की तिथि से पूर्व जिन फसलों/ पेड़ों की नीलामी होनी है उन का निरीक्षण बोलीकर्ता किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच फार्म प्रभारी एवं सुरक्षा प्रभारी की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त कर सकते हैं।
2	बोलीकर्ता को भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ की नीलाम होने वाले फसलों हेतु जमा किये जाने वाली ई.एम.डी. रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक "ICAR-UNIT, CISH, Lucknow" के पक्ष में देय होगा। ई0एम0डी0 की राशि नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। ई.एम.डी. की राशि जमा किये बिना बोली की अनुमति नहीं होगी।
3	जिसके पक्ष में नीलामी होगी उस बोलीकर्ता को बोली का एक तिहाई राशि (33 %) मौके पर तुरन्त नगद अथवा बैंक ट्रान्सफर के द्वारा जमा करना होगा व शेष भुगतान (67%) नीलामी की तिथि से एक सप्ताह के भीतर संस्थान में रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के माध्यम से जमा करना होगा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आंशिक भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा, ऐसा न करने की अवस्था में प्रति दिन पूरी राशि का 0.5% जुर्माना लगाया जायेगा।
4	सफल बोलीकर्ता, जिसके पक्ष में बोली छूटी है, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इस दशा में जमा की हुई पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे सबसे ऊँची बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को कार्य हस्तानान्तरित कर दिया जायेगा।
5	यदि उच्चतम बोलीकर्ता मौके पर आवश्यक धनराशि (बोली राशि का 33%) जमा करने में विफल होता है तो इस स्थिति में दूसरे उच्चतम बोली दाता को मौके पर ही बोली का 50% नकद जमा करना होगा। शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के माध्यम से जमा करना होगा।
6	प्रायोगिक सामग्री सफल बोलीकर्ता द्वारा चाहरदीवारी की बाड़ एवं संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचायेगा। यदि संस्थान की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, तो इसकी भरपाई सफल बोलीकर्ता द्वारा की जायेगी एवं संस्थान में जमा की गयी धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
7	नीलाम की गई उपज को वापस या विनिमय नहीं किया जायेगा।
8	कोई भी कर या उपकर, यदि लगाया जाता है तो सफल बोलीदाता के द्वारा ही इसका भुगतान किया जाएगा।
9	नीलाम फसल की तुड़ाई का कार्य बोलीकर्ता द्वारा उसके श्रमिकों के माध्यम से फार्म प्रभारी अथवा नामित अधिकारी/ समिति की देख-रेख में कार्य दिवसों एवं कार्यालय समय (09.30 पूर्व. 04.00 अप. के मध्य) में ही किया जायेगा। अवकाश के दिनों में फसल की तुड़ाई की अनुमति प्रभारी, सुरक्षा के संस्तुति उपरान्त संस्थान के निदेशक के अनुमोदन से

	ही दिया जाएगा, जिसके लिए बोलीकर्ता को लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करनी होगी। बोली कर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कार्य के लिए किसी भी बाल श्रमिक को नहीं लगाया जायेगा, एवं इसका उल्लंघन का दोषी पाने की स्थिति में उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
10	नीलामी की गई फसल के अलावा किसी अन्य फसल को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उच्चतम बोली लगाने वाला या उसका कर्मचारी ऐसा करते पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
11	नीलाम पेड़ों की देख-रेख एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी नीलामी के उपरान्त बोलीकर्ता की होगी, संस्थान किसी भी प्राकृतिक अथवा जानवरों/ कीटों के अतिक्रमण से होने वाली हानी/नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12	बोलीकर्ता को रोजमर्रा के होने वाले शोध कार्य, पौधा रोपड़, डाटा एकत्रित करना संबंधी कार्य, इत्यादि के लिए रोक नहीं लगाएगा एवं इसके लिए कोई आपत्ति नहीं करेगा।
13	नीलामी की अवधि के दौरान नीलाम हुये पेड़ों की फसल में सिंचाई करवायी जाये यह आवश्यक नहीं है।
14	किसी भी दशा में बाग में खाना पकाने आदि के लिए जलाऊ लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा परिसर के भीतर शराब या मादक पदार्थ/ प्रबंधित पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। यदि बोलीकरता या उसका कोई कर्मचारी ऐसा करते पाया जाता है तो ठेकेदार को नीलामी समिति एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।
15	संस्थान द्वारा कुछ बाग/ पेड़ों को शोध कार्य हेतु आरक्षित किए गए हैं, तथा इस नीलामी नोटिस में उसको अंकित नहीं किया गया। अतः बोलिकर्ता आरक्षित प्लॉट में फसलों की तुड़ाई नहीं कराएगा। अपरिहार्य कारणवश द्वारा यदि संस्थान के वैज्ञानिकों को सीमित फसलों की आवश्यकता पड़ेगी तो मांग के अनुसार बोलीकर्ता को इन फसलों को प्रभारी फार्म की संस्तुति उपरान्त इसे निःशुल्क प्रदान करना होगा।
16	ठेकेदार को उन सभी व्यक्तियों के नाम की सूचना पूरे पंते के साथ तथा पहचान पत्र की प्रतिलिपि देनी होगी जो बाग में निगरानी या किसी अन्य उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हों।
17	यदि बोलीकर्ता उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करता है तो जमा की गई जमानत राशि जब्त करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास सुरक्षित रहेगा।
18	अन्य नियम व शर्तों की घोषणा मौके पर ही की जाएगी।
19	हमारा संस्थान RTI Act, 2005 के अन्तर्गत आता है, अतः हमारा संस्थान आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारी इस RTI Act, 2005 के अन्तर्गत किसी को भी बताने के लिए बाध्य है।
20	निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास उच्च बोली स्वीकार करने की राशि को तथा बोली को पूरा या आंशिक या उसके एक भाग को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
21	इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी के लिये मान्य होगा।
22	जिसके पक्ष में नीलामी होगी ऐसे बोलीकर्ता को बोली लगाने की तिथि से सात दिनों के भीतर रु.100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
23	कोविड-19 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी और/या गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई एडवाइजरी का ठेकेदार/उसके व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जा सकता है।
24	जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसे छोड़कर अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ₹०५००००० की राशि का बैक ड्राफ्ट नीलामी स्थल पर ही नीलामी समाप्त होने के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
25	उपरोक्त नियम व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में समस्त बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा इस प्रयोजन के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
26.	उपरोक्त फसलों हेतु संस्थान की समिति द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम रिजर्व मूल्य से कम पर बोलीकर्ता को नीलामी देय नहीं होंगी।
27.	यदि बोलीकर्ताओं द्वारा लगायी गयी बोली, समिति द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम रिजर्व मूल्य से कम पर छुट्टी है तो इस दशा में बोलीकर्ताओं को पुनः बोली लगाने का मौका दिया जायेगा जिससे कि अधिकतम बोली राशि, न्यूनतम रिजर्व मूल्य तक पहुँच सके। इसके बावजूद यदि अन्तिम बोली न्यूनतम रिजर्व प्राइंस से कम रहती है तो इस दशा में संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

28	इस सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी नियम व शर्तों के साथ संस्थान की वेबसाइट https://cish.icar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
29	नीलामी संबंधी किसी भी जानकारी के लिए संस्थान के ईमेल: cish@icar.gov.in कर सकते हैं अथवा डॉ दुष्यंत मिश्र, प्रभारी फार्म को उनके मोबाइल संख्या +918218769849 पर कार्यालय समय पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
30.	यदि नीलामी संबंधी तिथि या प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो इसकी सूचना संस्थान के वेबसाइट (https://cish.icar.gov.in/) पर ही ढाली जाएगी।

21/3/2022
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. संस्थान के सभी प्रभागाअध्यक्ष
- 2.अध्यक्ष, फार्म प्रबंधन समिति एवं फार्म प्रभारी/ उद्यान अधीक्षक
- 3.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/.वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी
- 4.प्रभारी, सुरक्षा
- 5.आहरण एवं संवितरण अधिकारी
- 6.अध्यक्ष एवं सदस्यो (नीलामी समिति) को नाम से
- 7.प्रभारी, एकेएमयू इस सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर कॉलम 'Tender' पर अपलोड कराये।
- 8.निदेशक के निजी सचिव
- 9.फल मंडी प्रभारी,मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ
10. प्रभारी मंडी,दुबगगा, लखनऊ